प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः मनरेगा सेल/पत्रा0सं0-49TS/1845/2023 दिनांकः 17 मई, 2023

विषय– वित्तीय वर्ष 2023–24 में वृहद स्तर पर किये जाने वाले वृक्षारापेण की तैयारी के सम्बंध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि विगत कुछ वित्तीय वर्षो से वन विभाग द्वारा ग्राम्य विकास विभाग को वृक्षारोपण हेतु वृहद लक्ष्य दिये जा रहें है, जिसके सापेक्ष लक्ष्य की पूर्ति हेतु सफलता पूर्वक कार्य भी किये गये है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में भी पूर्व की भांति वृक्षारोपण का वृहद लक्ष्य वन विभाग द्वारा आगामी कुछ कार्यदिवस में जनपदवार साझा किया जायेगा।

उपरोक्त के क्रम में रणनीति बनाते हुए कार्यवाही की जानी है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नवत् है–

मुख्य सचिव महोदय के स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या–**881/81–2019–03/2019 दिनांक 21.11.2019** के अनुसार दिये गये निर्देशों के क्रम में आवश्यक कार्यवाही करते हुए **लक्ष्य** की प्राप्ति सुनिश्चित की जानी है।

1. वृक्षारोपण हेतु नरेगा वेबसाइटः **www.nrega.nic.in** पर सामुदायिक स्थल हेतु **Drought Proofing एवं व्यक्तिगत स्थल हेतु work on individual land** पर **वर्क आई0डी0 सृजित करते हुए अग्रिम मृदा कार्य दिनांक 10.06.2022 तक** तथा **मृदा सुधारक एवं खाद सहित गड्ढ़ा भरान कार्य दिनांक 15.06.2022 तक अवश्य पूर्ण** करा लिया जाये, ताकि वर्षा प्रारम्भ होते ही वृक्षारोपण कार्य प्रारम्भ कर लक्ष्यों की पूर्ति की जा सके।

2. वृक्षारोपण हेतु **पौध वन एवं वन्य जीव विभाग की पौधशौधालों** से प्राप्त की जायेगी। इस कार्य हेतु यह आवश्यक है कि **चिन्हित नर्सरियों से पौधों की उपलब्धता हेतु भ्रमण कर** पूर्व में ही **सत्यापन करते हुए पौधों/प्रजातियों की उपलब्धता सुनिश्चित** करने के उद्देश्य से **आगामी 20 दिवसों के अन्दर निरीक्षण कर वृक्षारोपण की सूक्ष्म कार्ययोजना** बनाते हुए संलग्न प्रारूप पर सूचना राज्य मनरेगा प्रकोष्ठ को प्रेषित की जाये। इसके साथ ही **वन विभाग की पौधशौलाओं से ग्राम पंचायत तक पौध ढुलान संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा योजनान्तर्गत** परियोजना का प्राक्कलन बनाते हुए कराया जाए।

3. **कृषकों की मांग के अनुरूप प्रजापतियों** के पौधों की **उपलब्धता** सुनिश्चित हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। यह प्रयास किया जाए कि **वन विभाग द्वारा ऐसी प्रजाति के पौधे उपलब्ध कराये जाए, जो पशुओं द्वारा खाने योग्य ना हों** तथा वन विभाग द्वारा निर्धारित मानक/माप **(न्यूनतम 06 फीट) के अनुरूप हो,** जिससे पौधों की उत्तरजीविता बनी रहे।

4. **आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर** पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में **अमृत सरोवर का विकास किये जाने के निर्देश शासनादेश दिनांक 27.04.2022** द्वारा दिये गये हैं। अतः **अमृत सरोवर के चारो ओर फलदार/छायादार पौधों का रोपण सुनिश्चित** किया जाये।

5. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र संख्या–K11011/01/2019RE(IV) दिनांक 27.02.2023 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आजादी के अमृत महोत्सव के अन्तर्गत "वृक्षमाला नदी तट संरक्षण महाअभियान" के अन्तर्गत चयनित सामुदायिक स्थलों पर प्राथमिकता के आधार पर **बांस, फलदार के पौधों का रोपण कराए जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।**

6. वृक्षारोपण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु आवश्यक है कि **स्थल के चिन्हांकन एवं लक्ष्य के अनुसार अधिक से अधिक श्रमिकों** को प्रति ग्राम पंचायत **रोजगार उपलब्ध कराया जाये।** इसके साथ ही **रोपित किये गये पौधों की देख–रेख एवं प्रतिस्थापन संबंधी कार्य में भी सतत्** रूप से श्रमिकों को योजित किया जाये, जिससे समस्त नियोजित श्रमिक परिवारों को 100 दिन का रोजगार दिया जा सके।
7. वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु आने वाले लक्ष्य के सापेक्ष वृक्षारोपण सामुदाायिक स्थलों पर रोपित पौधों की जीवितता **सुनिश्चित कराने हेतु, उनके रख–रखाव (Maintenance) को अनिवार्य रूप से सम्मिलित करते हुए निर्धारित प्राविधानों के अनुसार एस्टीमेट बनाये जायें।**
8. वित्तीय वर्ष 2023–24 में वृक्षारोपण के अन्तर्गत कराये जाने वाले पौधरोपण सम्बंधी कार्यो की **पारदर्शिता हेतु** पौधरोपण से पूर्व एवं पौधरोपण के पश्चात **कार्य की जी0ओ0 टैग अनिवार्य** रूप से करते हुए मनरेगा योजना की वेबसाइट पर फोटो अपलोड किया जाए तथा वन विभाग द्वारा प्रदत्त हरितिमा ऐप पर भी सामुदायिक तथा व्यक्तिगत स्थल पर किये जाने वाले वृक्षारोपण की जीओ टैगिंग एवं साइट का संक्षिप्त विवरण के साथ फीडिंग किया जाये।
9. जनपद स्तर आयोजित होने वाली जिला वृक्षारोपण समिति की बैठक में संबंधित जनपद के उपायुक्त, श्रम रोजागार को आवश्यक रूप से शामिल किया जाए तथा उनके मन्तव्य लिये जाये।
10. महालेखाकार, लेखापरीक्षा–II द्वारा 22 जनपदों में की गयी वृक्षारोपण की ऑडिट में मुख्य रूप से पौधो की उत्तरजीविता का कम होना, Working Plan/Micro Planning का ना बना होना, वृक्षारोपण करने के पश्चात स्थलों का निरीक्षण ना किया जाना, मृत पौधो का बदलाव सही समय पर ना किया जाना, भूमि की भौगोलिक संरचना के आधार पर पौधो की उचित प्रजाति का ना होना, अग्रिम मृदा कार्य के बाद खाद्य आदि की व्यवस्था ना होना आदि बिन्दुओं पर आपत्तियॉ लगायी गयी है। अतः इस प्रकार की आपत्तियों के निराकरण हेतु कार्यवाही की जाए।
11. विगत वित्तीय वर्ष में सामुदायिक तथा व्यक्तिगत स्थलों पर किये गए वृक्षारोपण में पौधों की जीवितता की समीक्षा कर लें, यदि नियमों से ज्यादा वृक्ष मरें हो तो उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार मृत/Dead Plant को आवश्यक रूप से बदला जाए जिससे उनकी उत्तरजीवितता सुनिश्चित की जा सके।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तनुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(जी0एस0 प्रियदर्शी)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्राँकः मनरेगा/पत्रा0सं0–49/1845/2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1.अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन। Email-psrd.up@ gmail.com
2.प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन एवं वन्य जीव विभाग, उ0प्र0। Email- ccfsf_up@yahoo.co.in
3.निदेशक, उद्यान विभाग, उ0प्र0। Email- horticulturejd98@gmail.com
4.समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5.समस्त संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
6.समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, उ0प्र0।
7.समस्त परियोजना निदेशक/उपायुक्त(श्रम रोजगार), उ0प्र0।

(विजय कुमार चौधरी)
उपायुक्त, मनरेगा
ग्राम्य विकास, उ० प्र०।